

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम, जिला-कबीरधाम (छ0ग0)

--विविध आदेश--

क्रं.-क्यू/मु.न्या.मजि./2026

कबीरधाम दिनांक-01.10.2026

मैं कु रूपल अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम(छ.ग.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) एवं 13(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य विभाजन आदेश क्रं.-क्यू/मु.न्या.मजि./2026, कबीरधाम, दिनांक 01-10-2026 में निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर संशोधन करती हूं, जो तत्काल प्रभावशील होगा -

(1) सरल क्रं.-01 के स्तंभ क्रं.-04 में क्र (12) के रूप में स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS (AMENDMENT) ACT, 2026 (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम, 2026)के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना प्रतिस्थापित किया जाता है।

(2) सरल क्रं.-02 के स्तंभ क्रं.-04 में क्र (12) स्तम्भ के रूप में क्रमांक-03 में वर्णित थाना (तहसील पण्डरिया उद्भुत)से उत्पन्न होने वाले THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS (AMENDMENT) ACT, 2026 (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम, 2026) के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना प्रतिस्थापित किया जाता है।

(3) सरल क्रं.-03 के स्तंभ क्रं.-04 में क्र (12) के रूप में स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS (AMENDMENT) ACT, 2026 (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम, 2026)के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना प्रतिस्थापित किया जाता है।

(4) सरल क्रं.-04 के स्तंभ क्रं.-04 में क्र (8) के रूप में स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS (AMENDMENT) ACT, 2026 (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम, 2026)के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना प्रतिस्थापित किया जाता है।

(5) सरल क्रं.-05 के स्तंभ क्रं.-04 में क्र (7) के रूप में स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS (AMENDMENT) ACT, 2026 (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम, 2026)के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना प्रतिस्थापित किया जाता है।

स्थान:-कबीरधाम (छ.ग.)



(कु रूपल अग्रवाल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कबीरधाम छ.ग.